कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर व उत्तर-पश्चिम,

जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

संख्या/राजभाषाहिन्दीअनुभाग/उ०/उ०प०/रोहिणी/दिल्ली/ 2674-2697 दिल्ली, दिनांक 08/04/2025

संलग्न परिपत्रों की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है -

1. सभी प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली, इस निर्देश सहित कि परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
2. वेबसाइट समिति, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. संबंधित कर्मचारी लेयर्स, संलग्नकों सहित इसे लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।

नोडल अधिकारी, राजभाषा अनुभाग,
जिला उत्तर,
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

नोडल अधिकारी, राजभाषा अनुभाग,
जिला उत्तर-पश्चिम,
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

इस कार्यालय में पूर्व जारी परिपत्र संख्या 32060-32385/हिन्दी/238/के.हि.का.समिति/परिपत्र/2025 दिनांक 28 मई 2025 के क्रम में जिला न्यायालय दिल्ली के सभी न्यायिक जिलों में स्थापित सभी अनुभागों/इकाइयों/प्रकोष्ठों आदि के अनुभाग प्रभारियों (Branch In-charges) को पुनः सूचित किया जाता है कि आप अपने नियंत्रणाधीन अनुभागों/इकाइयों/प्रकोष्ठों की राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग व कार्यों से संबंधित तिमाही रिपोर्ट (Quarterly Report) प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपने संबंधित न्यायिक जिले के राजभाषा हिन्दी अनुभाग को भेजें। इस हेतु आप दायित्वाधीन हैं।

सभी अनुभाग प्रभारियों (Branch In-charges) को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप नियमानुसार आवश्यक कार्यों को राजभाषा हिन्दी में स्वयं करें और अपने नियंत्रणाधीन कर्मचारियों से भी करवाएं और उनकी पूरी जानकारी तिमाही रिपोर्ट प्रपत्र (Form) के निर्धारित कॉलमों में दें।

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग व कार्यों से संबंधित तिमाही रिपोर्ट (Quarterly Report) भेजने में देरी करने और उनमें किसी भी प्रकार की कमी व अपूर्णता होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यह परिपत्र माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है।

(सुकेश कुमार गुप्ता)
जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), केन्द्रीय जिला,
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 53872-54172 /हिन्दी/238/के.हि.का.समि./परिपत्र/2025
दिनांक 02 AUG 2025

1. समस्त विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिल्ली/नई दिल्ली, इस सादर अनुरोध सहित कि इस परिपत्र को अपने संबंधित न्यायिक जिले में परिचालित/सर्कुलेट करवाने का कष्ट करें।
2. श्री सुकेश कुमार गुप्ता, विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) व अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली, श्री धर्मेन्द्र राणा, विद्वान जिला न्यायाधीश-01 (नई दिल्ली जिला), पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली व सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली, श्री हेलराज, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-08, पश्चिम जिला व सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली, सुश्री रूची अग्रवाल अस्थाना, वि. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (केन्द्रीय जिला) व सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली, सुश्री गीति सूरी मिश्रा, वि. अधिकारी दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा, जिला न्यायालय दिल्ली व सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति।
3. विद्वान प्रभारी न्यायाधीश (मध्यस्थता केन्द्र) तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
4. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, अति. प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
6. सभी अनुभागों के विद्वान प्रभारी न्यायाधीश, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. विद्वान सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. सभी न्यायिक जिलों में मनोनीत नोडल अधिकारीगण, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला न्यायालय दिल्ली।
9. विद्वान प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10. सभी (वरि.) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, समस्त अनुभाग, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
11. समस्त जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभाग, इस निर्देश सहित कि इस परिपत्र को अपने संबंधित जिले में परिचालित करवाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करें।
12. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा (आर एंड आई) / संबंधित कर्मचारी लेयर्स, इस अनुरोध सहित कि परिपत्र व इसके संलग्नकों को लेयर्स पर अपलोड करें।
13. वेबसाइट समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
14. अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय का रीडर।

नोट:- आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने अधीनस्थ व नियंत्रणाधीन कर्मचारियों की जानकारी में लाएं।

अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

जिला एवं सत्र न्यायालय
Office of the District & Sessions Judge
केन्द्रीय हिन्दी समिति सेक्टर / Section
जावक सं / Diary No. 3646
04 AUG 2025

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

इस कार्यालय में पूर्व जारी परिपत्र संख्या 4127/42466-826/Gen./2003, दिनांक 12.09.2003 तथा परिपत्र संख्या 23468-23648/हिन्दी/238/के.ह.का.समिति/परिपत्र/2024, दिनांक 06-04-2024 (प्रतिलिपी संलग्न) तथा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देश/संदेशों व परिपत्रों के क्रम में आप सभी को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय दिल्ली के विभिन्न अनुभागों/इकाइयों/प्रकोष्ठों आदि से प्राप्त होने वाली राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टों (Quarterly Reports) का अवलोकन करने के बाद यह देखने में आया है कि उक्त परिपत्रों में दिए गए आदेशों/निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है तथा कुछ अनुभागों व इकाइयों में नियमानुसार राजभाषा हिन्दी में अपेक्षित कार्य नहीं हो रहा है।

अतः माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में सभी न्यायिक जिलों में स्थापित अनुभागों/इकाइयों/प्रकोष्ठों के अनुभाग प्रभारियों को निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त परिपत्रों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यों को राजभाषा हिन्दी में स्वयं व अपने नियंत्रणाधीन कर्मचारियों से करवाएं और उनकी पूरी जानकारी तिमाही रिपोर्ट के निर्धारित कॉलमों में दें। इसके साथ यह भी निर्देश दिया जाता है कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर 15 दिनों के भीतर संबंधित जिले के राजभाषा हिन्दी अनुभाग को भेजें।

यह परिपत्र माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है।

(धर्मेन्द्र राणा)
जिला न्यायाधीश-01, नई दिल्ली जिला एवं
केन्द्रीय समन्वयन/सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय दिल्ली।

संख्या 32060 – 32385 /हिन्दी/238/के.हि.का.समि./परिपत्र /2025 दिनांक 28 MAY 2025

1. समस्त विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/नई दिल्ली, सादर इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र को अपने संबंधित न्यायिक जिले में परिचालित/सर्कुलेट करवाते हुए इसे सभी विद्वान अधिकारियों व कर्मचारियों के संज्ञान में लाने की कृपा करें।
2. विद्वान अध्यक्ष/सदस्य व सभी न्यायिक जिलों में मनोनीत वि. नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली।
3. विद्वान प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. विद्वान प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केन्द्र, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त वि. न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. सभी अनुभागों के वि. प्रभारी न्यायाधीश, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. वि. सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. वि. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली, इस निर्देश सहित कि परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
10. राजभाषा हिन्दी अनुभाग, समस्त न्यायिक जिले, दिल्ली/नई दिल्ली, इस निर्देश सहित कि इस परिपत्र को अपने संबंधित जिले में परिचालित करवाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करें।
11. संबंधित कर्मचारी, लेयर्स, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली (लेयर्स पर प्रदर्शित करें)।
12. वेबसाइट समिति, जिला न्यायालय दिल्ली (जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें)।
13. अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय का रीडर।

नोटः- आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने अधीनस्थ व नियंत्रणाधीन कर्मचारियों की जानकारी में लाएं।

केन्द्रीय समन्वयन/सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय दिल्ली।

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE: DELHI

C I R C U L A R

Whereas Hindi in Dev Nagri script has been declared as official language of the Union Territory of Delhi under the provision: Sections 272 of Criminal Procedure Code and 137 of Civil Procedure Code, it has been decided that Hindi language should be used in the Subordinate Courts in the following matters:-

(i) Issuance of notices, summons and warrants of arrest etc.

(ii) Maintenance of official registers in prescribed forms after providing Hindi translation to Column headings.

(iii) Recording of evidence of witnesses and statements of parties and counsel.

All the Judicial Officers are, therefore, requested to ensure that Hindi is used in the above matters and in other spheres also wherever possible.

(J.P. SINGH)
DISTRICT & SESSIONS JUDGE:
DELHI

No. 4177/42466-826/Genl./2003 Dated, Delhi the 12/09/03

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi with reference to his letter no. 20421/G-II/DHVC dated 3/9/03.
2. All the Judicial Officers at Tis Hazari, Patiala House and Karkardooma Courts, Delhi.
3. The Judge, Small Causes Courts, Delhi.
4. The Administrative Civil Judge, Delhi.
5. The Officer Incharges, Copying Agencies, Tis Hazari, Patiala House and Karkardooma Courts, Delhi.
6. The Officer Incharges, Record Rooms, Tis Hazari, Patiala House and Karkardooma Courts, Delhi.
7. The Officer Incharges, Judicial / Administration /. Accounts / General / Care Taking Branches.

DISTRICT & SESSIONS JUDGE:
DELHI

केन्द्रीय समन्वयन/सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय दिल्ली।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

जैसा कि देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजभाषा घोषित किया जा चुका है और दिनांक 26-01-2004 से दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू हो चुका है, अतः केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निम्न वर्णित प्रशासनिक प्रकृति के कार्य द्विभाषी (हिन्दी-अँग्रेजी) या हिन्दी में किए जाएंगे :-

1. हिन्दी में प्राप्त या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर आवश्यक तौर पर हिन्दी में दिए जायें।
2. सभी पंजिकाओं/रजिस्ट्रों पर विषय ऊपर हिन्दी में व उसके नीचे अंग्रेजी में लिखे जाएँ तथा सभी कॉलम के शीर्षक द्विभाषी (ऊपर हिन्दी उसके नीचे अँग्रेजी) में लिखे/बनाए जाएँ तथा आवश्यक प्रविष्टियाँ हिन्दी भाषा में की जाएँ।
3. नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें, लोगो, अवकाश के प्रपत्र (प्रफॉर्मा), स्टेशनरी के प्रपत्र (प्रफॉर्मा), सामान्य आदेश, निविदाएँ, विज्ञापन, परिपत्र, नियमावलियाँ, कोड-मैन्युअल, मानक फार्म इत्यादि द्विभाषी (ऊपर हिन्दी उसके नीचे अँग्रेजी) में तैयार करवाएँ/जारी किए जाएँ।
4. अर्दली, चपरासी, फ्राश, माली, चौकीदार, चालकों, सफाई-कर्मचारियों व समकक्ष वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक कार्य कार्यालय के पूर्ववर्ती आदेश संख्या 31057-517/हिन्दी/237/09 दिनांक 24/03/2009 व आदेश संख्या 59802-60002/हिन्दी/237/2017, दिनांक 12-09-2017 के अनुरूप आवश्यक तौर पर हिन्दी भाषा में किए जायें।
5. अन्य कार्यालय कार्यों में, जहाँ भी आवश्यक/संभव प्रतीत हो, राजभाषा हिन्दी का प्रयोग किया जाएँ।

अतः सभी विद्वान न्यायिक अधिकारी तथा अन्य अधिकारी व अनुभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त कार्यों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग आवश्यक तौर पर किया जाए। इन निर्देशों का सभी संबंधितों के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(संजय गर्ग)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।

संख्या 23468-23648 /हिन्दी/238/के.हि.का.सम./परिपत्र /2024 दिनांक 06.8.24

1. विद्वान रजिस्ट्रार जनरल, सम्मानीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2. समस्त विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/नई दिल्ली, इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र को अपने संबंधित न्यायिक जिले में परिचालित/सर्कुलेट करवाते हुए इसे सभी न्यायिक अधिकारियों व अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के संज्ञान में लायें।
3. विद्वान अध्यक्ष/सदस्य व सभी न्यायिक जिलों में मनोनीत वि. मोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली।
4. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. विद्वान प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केन्द्र, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. समस्त वि. न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. सभी अनुभागों के वि. प्रभारी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
8. वि. सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. वि. प्रशासनिक दिवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली, इस निर्देश सहित कि परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
11. राजभाषा हिन्दी अनुभाग, समस्त न्यायिक जिले, दिल्ली/नई दिल्ली।
12. संबंधित कर्मचारी, लेयर्स, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली (लेयर्स पर प्रदर्शित करें)।
13. वेबसाइट समिति, जिला न्यायालय दिल्ली (जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें)।
14. अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निजी सचिव।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।

केन्द्रीय समन्वयन/सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय दिल्ली।

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE (HQs): DELHI

CIRCULAR

Whereas Hindi language in Dev Nagri script has been declared as the official language of the National Capital Territory of Delhi and the Delhi Official Language Act. 2000 has come into force in the National Capital Territory of Delhi w.e.f.26-01-2004, hence accepting the recommendations of the Central Hindi Implementation Committee, District Court of Delhi, it has been decided that the following office works of administrative nature will be carried out bilingually (Hindi-English) or in Hindi :-

1. Replies to all letters/correspondences received in Hindi or signed in Hindi must be given in Hindi only.
2. On all registers, headings/subjects shall be written in Hindi at the top and thereafter in English below it and headings of all the columns shall be written bilingual (First Hindi then in English) and necessary entries should be made in Hindi language.
3. Name plates, notice boards, rubber stamps, logos, leave proformas, stationery proformas, general orders, tenders, advertisements, circulars, manuals, code-manuals, standard forms etc. should be prepared/issued bilingual (First Hindi then in English):
4. In Compliance of this office previous orders number 31057-517/Hindi/237/09 dated 24/03/2009 and order number 59802 -60002/Hindi/237/2017, dated 12-09-2017, the administrative work in respect of orderlies, peons, Fraash, Mali, Chaukidars, Drivers, cleaning staff and other equivalent category officials must be carried out/executed in Hindi language.
5. Raj Bhasha Hindi should be used in other spheres of office work also, wherever possible.

All Ld. Judicial Officers and other officers and In-Charges are, therefore, requested to ensure that the official language Hindi is used in above matters/office works. These instructions should be followed strictly by all concerned.

5/4/24

(Sanjay Garg)
Principal District and Sessions Judge (HQs),
Tis Hazari Court, Delhi.

No. 23638-23648 /Hindi/238/C.H.I.C/Circular/2024 Dated, Delhi the 16 APR 2024

1. Registrar General, Hon'ble High Court of Delhi, New Delhi.
2. All Ld. Principal District and Sessions Judge, Delhi/New Delhi, (with the request to circulate this circular in their respective judicial district and bring it to the notice of all Ld. Judicial Officers and other Officers and employees.
3. Ld. Chairman/Members and Nodal Officers in all judicial districts, Central Hindi Implementation Committee, District Court, Delhi.
4. Ld. Principal Judge, Family Court, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.
5. Ld. Judge-In-charge, Mediation Centre, Tis Hazari Court, Delhi.
6. All Ld. Judicial Officer, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.
7. Ld. Judge In-Charge of all Branches, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.
8. Ld. Secretary, Delhi State Legal Services Authority, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.
9. Ld. Administrative Civil Judge, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.
10. All Senior Administrative Officers (Judicial), Administrative Officers (Judicial) and Branch/Section In-charges, Central District, Tis Hazari Court, Delhi, with directions to ensure compliance of the circular.
11. Raj Bhasha Hindi Sections, All Districts, Delhi/New Delhi.
12. Concerned Staff, Layers, Central District, Tis Hazari Court, Delhi (with directions to place this circular on Layers).
13. Website Committee, District Court Delhi (with directions to place this circular on the website).
14. PS to the office of the undersigned.

5/4/24

Principal District and Sessions Judge (HQs),
Tis Hazari Court, Delhi.